

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III/135

दिनांक : 02-02-2018

आदेश संख्या 398 /2017-18

विभागीय आदेश संख्या 318/2017-18 दिनांक 01.02.2018 के अनुसार जारी आदेश में आंशिक सशोधन करते हुए आदेश के क्रम संख्या 2, 10, 21, 44, 45, 47, 54, 61 एवं 80 पर अंकित कार्मिकों के नाम एवं आदेश संख्या 319/2017-18 दिनांक 01.02.2018 के क्रम संख्या 6, 9, 27, 37, 60 एवं 78 पर अंकित कार्मिकों के नाम विलोपित करते हुए, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), उदयपुर में दिनांक 05.02.2018 से 28.03.2018 तक आयोजित होने वाले आठ सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता है। उक्त सभी प्रशिक्षुगण 5 फरवरी, 2018 को प्रातः 9.30 बजे उदयपुर परिसर में श्रीमती मोनिका गर्ग, अतिरिक्त निदेशक (लेखा) एवं पाठ्यक्रम निदेशक एचसीएम रिपा, रानी रोड़, श्री महाकालेश्वर मंदिर के पास, उदयपुर को रिपोर्ट करेंगे।

क्र. स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार/पिता का नाम जन्म तिथि, मेरिट क्रमांक/वर्ष	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	कोर्स कोड
(1)	(2)	(3)	(4)
1	VIKRAM SHARMA BRIJ BHUSHAN SHARMA 30/03/1987 [830 / 2013]	JOINT DIRECTOR (R.O.) LFAD UDAIPUR - 16919	UDR108
2	DHARMENDRA KUMAR VERMA SHRI JAGDISH PRASAD VERMA 01/07/1987 [2297 / 2013]	DY. DIRECTOR INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES, UDAIPUR - 22782	UDR108
3	MUKESH JHURIYA RAM NIWAS JHURIYA 10/07/1985 [621 / 2013]	BLOCK RESOURCE CENTRE SSA RAJASTHAN COUNCIL OF ELEMENTARY EDUCATION (EX CADRE POSTS) MANDALGARH - BHILWARA - 1000181	UDR108
4	YOGESH PATIDAR RAMAN LAL PATIDAR 04/01/1992 [1299 / 2013]	TREASURY OFFICER TREASURIES AND ACCOUNTS DUNGARPUR - 1105	UDR108
5	YOGESH PATIDAR KACHRULAL PATIDAR 03/11/1990 [1325 / 2013]	TEHSILDAR REVENUE DEPARTMENT DUNGARPUR - 16584	UDR108
6	RITU SINGH CHANDRAWAT SHYAM SINGH CHANDRAWAT 23/02/1982 [1880 / 2013]	COLLECTOR (LAND RECORD) REVENUE DEPARTMENT RAJSAMAND - 7000120	UDR108
7	ROHITASH GURJAR GOPI RAM GURJAR 04/02/1992 [SBC-08/2013]	PMO, NATHDWARA RAJSAMAND	UDR108
8	MANISH SONI SAJJAN KUMAR SONI 04/09/1989 [1104 / 2013]	BLOCK RESOURCE CENTRE SSA RAJASTHAN COUNCIL OF ELEMENTARY EDUCATION (EX CADRE POSTS) SHAHPURA - BHILWARA - 1000184	UDR108

9	SANJAY KUMAR LOHIYA NATHU LAL LOHIYA 11/02/1983 [618 / 2013]	TEHSILDAR REVENUE DEPARTMENT JAHAJPUR - BHILWARA - 10771	UDR108
10	PREETI GOSWAMI RATAN GIRI 01/09/1989 [2015/2013]	PMO MEDICAL AND HEALTH RAJSAMAND - 20383	UDR107
11	KANTI LAL DAMOR KAKUA DAMOR 15/01/1980 [3369 / 2013]	COLLECTOR (RELIEF) DISASTER MANAGEMENT & RELIEF DEPARTMENT, DUNGARPUR - 3000247	UDR107
12	HIMANSHU CHOUDHARY DEVI LAL 10/01/1991 [1189 / 2013]	PMO GOVT. SET. HOSPITAL, CHANDPOL, UDAIPUR	UDR107
13	KALPESH VAISHNAV LAJPAT RAI 21/04/1988 [1056 / 2013]	TREASURY OFFICER TREASURIES AND ACCOUNTS BANSWARA - 1093	UDR107
14	LOVE KUMAR SINGH NARPAT SINGH CHAUHAN 21/03/1993 [986 / 2013]	ASTT. MINING ENGG. MINES AND GEOLOGY BANSWARA - 3843	UDR107
15	RAHUL DARJI RAMESH CHANDRA DARJI 25/05/1991 [1248 / 2013]	ASTT. COMMISSIONER LABOUR BANSWARA - 15487	UDR107

उक्त प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा। यह प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है, अतः प्रशिक्षणार्थी को आवास व खान-पान आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी तथापि अत्यन्त आवश्यक परिस्थितियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवासीय सुविधा संस्थान के अधिकारी प्रवास में उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार निर्धारित शुल्क के आधार पर ही की जा सकेगी। प्रशिक्षण अवधि आठ सप्ताह (सात सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण व एक सप्ताह का परीक्षा कार्यक्रम) की होगी। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकारों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कनिष्ठ लेखाकारों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। किसी भी कनिष्ठ लेखाकार को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

यदि कोई कनिष्ठ लेखाकार प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के एक वर्ष की अवधि में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्यागपत्र देना चाहेगा अथवा अन्य पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण अवधि में उसके द्वारा प्राप्त समस्त प्रकार के वेतन-भत्ते तथा प्रशिक्षण पर हुए व्यय की दो गुना राशि का भुगतान एकमुश्त राजकोष में जमा कराना आवश्यक होगा। सभी प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते ही निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में बाण्ड भरकर सम्बन्धित पाठ्यक्रम निदेशक को प्रस्तुत करेंगे।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017-18/अलेसे-III/135
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

दिनांक :- 02-02-2018

1. निदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), उदयपुर को मय बाण्ड फार्म प्रेषित कर अनुरोध है कि बाण्ड फार्म कनिष्ठ लेखाकारों से पूर्ति करवाकर इस विभाग को शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें एवं उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकारों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर कॉलम संख्या 3 में अंकित विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करें।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..... को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कर्मचारी को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें क्योंकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।
5. श्री कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथी/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)